

Quintiles की
आपूर्तिकर्ता आचार
संहिता



Quintiles वहनीय व्यावसायिक रीतियों के प्रति वचनबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त मानकों के आधार पर, इस आपूर्तिकर्ता आचार संहिता ("संहिता") का उद्देश्य सामाजिक और पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व की ओर बढ़ना है।



Quintiles के साथ
व्यवसाय करने के
सिद्धांत और मानक



आचारनीति और अनुपालन

आपूर्तिकर्ताओं को सत्यनष्टि के साथ कार्य करना होगा और समस्त व्यावसायिक रीतियों में नैतिक आचार के उच्चतम मानदंडों के प्रतिविचनबद्ध होना होगा।

कानूनसम्मत अनुपालन

आपूर्तिकर्ता अपने प्रचालन के देशों के समस्त लागू कानूनों और वनियमों का पालन करेंगे।

रिश्वतरोधी/भ्रष्टाचाररोधी

आपूर्तिकर्ता किसी भी रूप में रिश्वत देने, भ्रष्टाचार जबरन वसूली या गबन में शामिल नहीं होंगे। आपूर्तिकर्ताओं को समस्त लागू भ्रष्टाचाररोधी कानूनों और वनियमों का पालन करना होगा। आपूर्तिकर्ता रिश्वत, किकबैक की पेशकश या उसे स्वीकार नहीं करेंगे या व्यावसायिक अथवा सरकारी संबंधों में अन्य गैर कानूनी प्रलोभनों में हिससा नहीं लेंगे।

उचित व्यावसायिक रीतियाँ

आपूर्तिकर्ताओं को बिक्रियों एवं वजिआपनों में उचित व्यावसायिक मानकों को बरकरार रखना होगा। आपूर्तिकर्ताओं को लागू उचित-प्रतिसपर्धा और एकाधिकारी व्यापार विरोधी कानूनों का अनुपालन करते हुए व्यवसाय करना होगा।


सूचना का खुलासा

आपूर्तिकर्ताओं को लागू कानूनों और वनियमों के अनुसार अपनी व्यावसायिक गतिविधियों, वित्तीय स्थिति और कार्यानष्टिपादन के बारे में सूचना को सटीक रूप में दर्ज करना होगा और उसका खुलासा करना होगा। आपूर्तिकर्ताओं को लागू कानूनी, वनियामक और राजकोषीय अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय पुस्तकों और रिकॉर्ड रखने होंगे और स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं का पालन करना होगा।

गोपनीयता और बौद्धिक संपदा

आपूर्तिकर्ताओं को कामगारों और यदलगाए हो तो आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय, रोगियों के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करनी होगी। आपूर्तिकर्ताओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करना होगा और ग्राहक की गोपनीय सूचना को सुरक्षित रखना होगा।

हमारे व्यवसाय को संचालित करने वाले Quintiles के मानकों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन करना हमारी सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण है।



पशु कल्याण

यदि इसके व्यवसाय के लिए लागू हो, तो आपूर्तकिर्ताओं को पशुओं के दर्द और तनाव को कम करते हुए उनके साथ मानवीय तरीके से पेश आना होगा पशुओं पर परीक्षण न्यूनतम होने चाहिए और जहाँ भी संभव हो, वहाँ वैकल्पिक स्थितियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उपहार और मनोरंजन

आपूर्तकिर्ताओं को Quintiles के प्रतिनिधियों के साथ संव्यवहार करते समय उपहारों और मनोरंजन तथा हति टकरावों के बारे में Quintiles की नीतियों का सम्मान करना होगा।

सूचि करने की प्रणाली

आपूर्तकिर्ता बना किसी बदले या प्रतिकार की भावना के सरोकारों या गैर कानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट करने की विधियाँ कामगारों को प्रदान करेंगे। आपूर्तकिर्ता रिपोर्टों की जाँच करेंगे और आवश्यक सुधारक उपाय करेंगे।

श्रम और मानवाधिकार

आपूर्तकिर्ता कामगारों के मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और उनके साथ गरमा एवं सम्मान का व्यवहार करेंगे।

भेदभावरहित और निष्पक्ष व्यवहार

आपूर्तकिर्ता ऐसा कार्यस्थल प्रदान करेंगे जो गैरकानूनी भेदभाव और प्रताड़ना से मुक्त हो। आपूर्तकिर्ता कामगारों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे जैसे कथित उत्पीड़न या शारीरिक दंड।

मजदूरी, लाभ और काम के घंटे

आपूर्तकिर्ता कामगारों को लागू कानूनों या वनियमों द्वारा अपेक्षित कम से कम न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेंगे और आदेशानुसार सारे लाभ प्रदान करेंगे। कामगारों को लागू कानूनों या वनियमों की अपेक्षा के अनुसार ओवरटाइम घंटों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। आपूर्तकिर्ता कामगारों को समय से भुगतान करेंगे और स्पष्ट रूप से उस आधार को बताएंगे जिस पर कामगारों को भुगतान किया गया है। कर्मचारियों के लिए काम के घंटे, लागू कानून या वनियम द्वारा निर्धारित अधिकतम घंटों से अधिक नहीं होंगे।

स्वतंत्र रूप से चुना गया रोजगार

आपूर्तकिर्ता अनच्छा से बंदी बनाए गए श्रम संहिता गुलामी, जबरन या बलात श्रम के किसी भी रूप का प्रयोग नहीं करेंगे।

कम आयु के श्रमिक

आपूर्तकिर्ता बाल श्रम का प्रयोग नहीं करेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के कामगारों का प्रयोग केवल जोखिमरहित कार्य के लिए किया जाएगा और जब युवा कामगार या तो: 1) देश में रोजगार की न्यूनतम आयु से या 2) अनिवार्य शिक्षा पूरी करने के लिए निर्धारित आयु से अधिक का हो (जो भी अधिक हो)।

एसोसिएशन की स्वतंत्रता

आपूर्तकिर्ताओं को स्थानीय कानूनों के अनुरूप, कामगारों के एसोसिएशन की स्वतंत्रता, श्रम यूनियनों में शामिल होने, कार्य परिषदों में शामिल होने या सामूहिक सौदेबाजी में संलग्न होने के अधिकार का सम्मान करना होगा। आपूर्तकिर्ताओं को उन कर्मचारियों का नुकसान नहीं करना चाहिए जो ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं या कामगारों के प्रतिनिधिके रूप में काम करते हैं।

हमारे व्यावसायिक
आचार मानक रोगी सुरक्षा
और सत्यनिष्ठा के लिए
हमारी प्रतिष्ठा की
सुरक्षा करने में हमारी
मदद करते हैं।

पर्यावरण

आपूरतकिर्ता पर्यावरणीय रूप से जम्मेदार तरीके से प्रचालन करेंगे और अपने प्रचालनों में पर्यावरण संबंधी प्रभाव को कम करने के प्रतिविचनबद्ध होंगे।

संरक्षण

आपूरतकिर्ता पानी, ऊर्जा और कचरी सामग्रियों सहित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। आपूरतकिर्ता अपने उत्पादन और सुवधाकेंद्रों की प्रक्रियाओं में समुचित संरक्षण उपायों को क्रियान्वति करके, जैसा भी लागू हो, ठोस और जोखमिभरे कचरे, व्यर्थ के पानी और वायु उत्सर्जनों को कम करने या समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आपूरतकिर्ता ऐसी सामग्री को पुनरावर्तन करने या उसका पुनः उपयोग करने का प्रयास करेंगे। आपूरतकिर्ताओं को वातावरण के अनुकूल उत्पादों और बज्रिली के उपभोग तथा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कचरा प्रबंधन

आपूरतकिर्ता कचरे, वायु उत्सर्जन और व्यर्थ पानी के सरावों, जैसा भी लागू हो, की सुरक्षित साज-सम्भाल, आवागमन, भंडारण, पुनरावर्तन, पुनः उपयोग और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों को लागू करेंगे।

जोखमि प्रबंधन

आपूरतकिर्ताओं को आकस्मिक फैल (spills) और वातावरण में छूटने से रोकने और कम करने के लिए प्रणालियों को लागू करना होगा।

पर्यावरण संबंधी परमिटि और रिपोर्टिंग

आपूरतकिर्ताओं को सभी जरूरी पर्यावरणीय परमिटिों, लाइसेंसों और पंजीकरणों को हासिल करना, बनाए रखना और अद्यतन रखना होगा तथा ऐसे परमिटिों की प्रचालन संबंधी अपेक्षाओं एवं अपेक्षित समस्त रिपोर्टिंग का पालन करना होगा।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

आपूरतकिर्ता अपने द्वारा किसी प्रदत्त आवासीय क्वार्टरों सहित सुरक्षित और स्वास्थ्यकर कार्य वातावरण प्रदान करेंगे।

कामगार सुरक्षा


आपूरतकिर्ता कामगारों को रासायनिक, जैविक और शारीरिक जोखमिों से बचाएंगे। आपूरतकिर्ताओं को कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखमिों को कम करने के लिए समुचित नियंत्रण, कार्यवधियाँ और रक्षात्मक उपाय प्रदान करने होंगे जिनमें जहाँ संभव हो, वातायन संबंधी नियंत्रण और समुचित नजिी रक्षात्मक उपकरण एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। समुचित नजिी रक्षात्मक उपकरण और प्रशिक्षण कामगार को बिना किसी शुल्क के प्रदान किए जाएंगे। जोखमिपूर्ण सामग्रियों से संबंधित सुरक्षा सूचना कामगारों को ऐसे जोखमिों से बचाने और शक्ति करने के लिए ऐसी भाषा में दी जाएगी जिसे कामगार समझ सकते हों।

सुरक्षा प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ

आपूरतकिर्ता रोजगार संबंधी चोट और बीमारी को नियंत्रित करने, उसकी खोज-खबर रखने और सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं और प्रणालियों को स्थापित करेंगे। ऐसी प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ कामगारों को रिपोर्टिंग करने और आवश्यक चिकित्सा उपचार प्रदान करने तथा उनके कारणों को समाप्त करने के लिए सुधारक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगी। कामगारों को कार्यस्थल संबंधी चोटों और बीमारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपचार निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। सुरक्षा संबंधी सरोकारों को उठाने पर कामगारों को दंडित नहीं किया जाएगा या उनसे अन्यथा भेदभाव नहीं किया जाएगा।

आपातकालीन रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया

आपूरतकिर्ता कार्यस्थल पर संभावित आपातकालीन स्थितियों की पहचान और उनका मूल्यांकन करेंगे और आपातकालीन योजनाओं तथा प्रतिक्रिया कार्यवधियों को क्रियान्वति करके प्रभाव को न्यूनतम करेंगे। ऐसी प्रक्रियाओं में कामगार प्रशिक्षण और ड्रिल, समुचित प्राथमिक आपूरतियाँ, आग का पता लगाने तथा उसे बुझाने के उपकरण तथा कार्यस्थल से निकलने के पर्याप्त निकास शामिल होंगे।



प्रबंधन प्रणालियाँ

आपूर्तकिर्ताओं को लागू कानूनों और इस संहिता में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन आसान बनाने के लिए प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना होगा। ऐसी प्रणालियों में नमिनलखिति तत्व शामिल हैं:

वचनबद्धता और नरिंतर सुधार

आपूर्तकिर्ता सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जम्मेदारी के विवरण या नीतिको अपनाकर और समुचित संसाधन आबंटित करके इस संहिता के सदिधांतों के प्रतविचनबद्धता का प्रदर्शन करेंगे। आपूर्तकिर्ताओं से अपेक्षा है कवि कार्यानषिपादन संबंधी प्रयोजनों को नरिधारित करके और कार्यानवयन योजनाओं को नषिपादित करने जैसे उपायों का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यानषिपादन में नरिंतर सुधार करेंगे।

जोखमि शमन

आपूर्तकिर्ता इस संहिता और लागू कानूनी अपेक्षाओं द्वारा इंगति क्षेत्रों में जोखमिों को पहचानने और नरित्तरित करने की वधियिों को लागू करेंगे। आपूर्तकिर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नरित्तरता योजना को लागू करेंगे कउनके व्यवसाय प्रचालन किसी आपदा की स्थितिमें न्यूनतम अवरोध के साथ जारी रहें।

लेखापरीक्षाएं, मूल्यांकन और सुधारक कार्रवाई आपूर्तकिर्ता लागू कानूनों और वनियमों तथा इस संहिता में उल्लिखित सदिधांतों के प्रतआपूर्तकिर्ता के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए आवधिक रूप से स्व-मूल्यांकन करेंगे। आपूर्तकिर्ता आंतरिक या बाह्य लेखापरीक्षाओं, मूल्यांकनों या नरिरीक्षणों द्वारा पहचानी गई कनिहीं कमयिों के समयबद्ध सुधार की प्रक्रिया अपनाएंगे।

प्रलेखन

आपूर्तकिर्ता लागू कानूनी अपेक्षाओं तथा इस संहिता में उल्लिखित सदिधांतों के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त प्रलेखन का रखरखाव करेंगे। इस प्रलेखन की समीक्षा पारस्परिक करार के आधार पर Quintiles द्वारा की जा सकती है।

आपूर्तशिखला

आपूर्तकिर्ता इस संहिता में उल्लिखित सदिधांतों को अपनी आपूर्त शिखला में सूचित करेंगे और अपनी आपूर्तशिखला द्वारा लागू कानूनों और इन सदिधांतों के अनुपालन का आवधिक रूप से आकलन करेंगे।

प्रशाक्षण और सम्प्रेषण

आपूर्तकिर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम स्थापित करेंगे ककामगारों को इस संहिता में उल्लिखित सदिधांतों की जानकारी मिल सके और वे इसे समझ सकें। आपूर्तकिर्ताओं को अपनी कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व रीतयिों और कार्यानषिपादनों के बारे में स्पष्ट और सटीक सूचना सार्वजनिक रूप से संप्रेषित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

रिपोर्टिंग

आपूर्तकिर्ताओं को Quintiles द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से संबंधित किसी भी संदग्ध अनुपालन या नीतिसंबंधी उल्लंघन की रिपोर्ट 866-738-4427 पर Quintiles व्यावसायिक आचारनीति हैल्पलाइन (Business Ethics HelpLine) से संपर्क करके या www.quintilesethics.com पर वेब के माध्यम से करनी चाहिए।



हमसे संपर्क करें:

वेब पर: www.quintilesethics.com

व्यावसायिक आचारनीति हेल्पलाइन (Business Ethics HelpLine) से संपर्क करें: +1 866 738 4427

